न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 47/2019 **(RCMS No. 2019/00089)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी

1. भंवरलाल पुत्र सेवाराम जाति कुम्हार उम्र 53 वर्ष निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोपालराम पुत्र सेवाराम जाति कुम्हार निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 14.10.19

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम हरितपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 966/254 कुल रकबा 2.07 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की सहखातेदारी की आई हुई है जिसमें वादी का 127/207 हिस्सा अर्थात 1.27 हैक्टर है, मौके पर वादी का कब्जा काश्त अलग से है वादी की कब्जा काश्त खसरा नम्बर 966/254 के उत्तरी भाग में रकबा 1.27 हैक्टर पर है, वादी की कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " संलग्न है जो इस वाद का भाग समझा जायेगा, वादी वादग्रस्त खसरा नम्बर 966/254 का खातेदार काश्तकार है एवं बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने का अधिकारी है वादी ने प्रतिवादी सं. 1 सहखातेदार को अपने हक हिस्से अनुसार एवं कब्जे अनुसार भू–विभाजन विधिवत रूप से करने हेतु कई मर्तबा कहा, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इ[illegible] पर वादी को वाद लाना पड़ा, वादी उपरोक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 966/254 [illegible] खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार की हैसियत से काबिज है अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के [illegible] प्रमाणित है, बिनाय दावा वादग्रस्त खसरा नम्बर 966/254 की भूमि का प्रतिवादी [illegible] द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारे से इन्कार करने से बमुकाम ग्राम हरितपुरा में पैदा हुआ,

...2...

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी की इस्तदुआ है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम हरितपुरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 966/254 रकबा 2.07 हैक्टर का वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " के माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाया जाकर वादी की खसरा नम्बर 966/254 के उत्तरी भाग पर रकबा 1.27 हैक्टर भूमि की अलग होल्डिंग कायम की जावे, माफिक आदेश प्रतिवादी सं. 2 को तहरीर जारी फरमायी जावे कि डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत हुई, मौखिक साक्ष्य में वादी का साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ।

वकील वादी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई, जिन्होने बहस दौरान बताया कि ग्राम हरितपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 966/254 रकबा 2.07 में वादी का 127/207 हक हिस्सा है जिसमें वादी उत्तंरी तरफ नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है जिसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा बंटवारा का अनुतोष हटाया जावे। प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम हरितपुरा सम्वत 2076–2079 खसरा नम्बर 966/254 रकबा 2.07 हैक्टर चाही तृतीय में गोपाल पुत्र सेवाराम हिस्सा 80/207 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–80/207 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कुचामनसिटी, भंवरलाल पुत्र सेवाराम हिस्सा 127/207 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, वादी का हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 966/254 पर चला आया है जिसमें प्रतिवादी बावजूद सूचना अनु[illegible]हा है जिससे साफ जाहिर है कि प्रतिवादी सं. 1 की मौन स्वीकृति है, चूंकि [illegible] पक्षकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आये है, प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री की आवश्यकता नही है, चूँकि प्रकरण में किसी भी पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा कोई एतराज नही किया है, अतः माफिक नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " अनुसार वाद वादी काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से निम्नवत वाद डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 966 / 254 रकबा 2.07 हैक्टर में वादी भंवरलाल पुत्र सेवाराम जाति कुम्हार निवासी हरितपुरा को 127 / 207 अर्थात 1.27 हैक्टर का नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा, नजरी नक्शा परिशिष्ट " क " डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 14.10.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट **R.A.S.**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या :– 47/2019 **(RCMS No. 2019/00089)**

वादी

1. भंवरलाल पुत्र सेवाराम जाति कुम्हार उम्र 53 वर्ष निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोपालराम पुत्र सेवाराम जाति कुम्हार निवासी हरितपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई स्थाई **निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान** काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरा अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम हरितपुरा के खसरा नम्बर 966/254 रकबा 2.07 हैक्टर में वादी भंवरलाल पुत्र सेवाराम** जाति कुम्हार निवासी हरितपुरा को 127/207 अर्थात 1.27 **हैक्टर का नजरी नक्शा परिशिष्ट " क "** अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, **शेष खाता बदस्तूर रहेगा, नजरी नक्शा परिशिष्ट " क "** डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद **एवं नक्शे में तरमीम** किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा **जाकर शामिल मिसल** किया जावे। निज .... मुबलिग .... बाबत..................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी

सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक माह सन् 2019 को जारी की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			[illegible] हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]फरिक		
मुतफरिक					
मीजान			[illegible]		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चा[illegible]डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी

EX 1
9/10/19

प्र.स. 47/19

N

आंशिक नक्शा लट्ठा ट्रेस
गांव - हरितपुरा
तहसील - कुचामन सिटी
पैमाना - 1cm = 40M
सन् - 1986-87

S

परिशिष्ट "क"

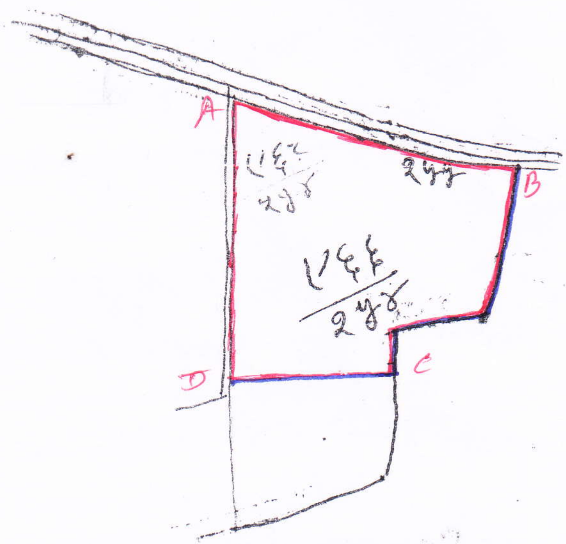

सत्यप्रति लिपि

16/07/2019

पटवारी
पटवार मण्डल खारिया
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:41 IST
Reason: SelfAttested